कार्यालय परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ0ग0)

-: विज्ञापन :-

क्रमांक /105/स्था./बा.वि.परि./2024-25 सारंगढ़,दिनांक 02.07.2024

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ0ग0) अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों की पूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तो के तहत दिनांक **16.07.2024** तक आवेदन पत्र इस कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है:-

क्रमांक	ग्राम/वार्ड का नाम	आं.बा. केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम	रिमार्क
1	वार्ड क्रमांक-09 (नगरपालिका सारंगढ़)	वार्ड क्रमांक-9/4	आंगनबाड़ी सहायिका	-

-: नियुक्ति नियमावली व निर्देश :-

1. आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः अस्थायी/मानसेवी होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रति माह मानदेय भुगतान किया जावेगा।
2. जिस वार्ड में पद रिक्त है, आवेदिका को नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्न में से काई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा:-
   (क) जिस वार्ड में पद रिक्त है उस वार्ड की अद्यतन मतदान सूची में नाम दर्ज हो, तो आवेदन पत्र में उसका उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

   अथवा

   (ख) नगरीय निकायों हेतु वार्ड पार्षद या पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें वार्ड/ग्राम में निवासरत रहने का पता का स्पष्ट उल्लेख हो।
3. आवेदिका का उम्र 18 वर्ष से कम तथा 44 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की तिथि से की जायेगी।
4. आवेदिका को आवेदन करते समय अपने दस्तावेजो में स्व प्रमाणित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. आवेदन में वर्तमान का नवीन पासपोट साईज फोटो चस्पा करना अनिवार्य होना।
6. आवेदिका को आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। **सहायिका पद हेतु कक्षा 8वी का अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। ग्रेडिंग की दशा में संबंधित संस्था के प्रधानपाठक से सत्यापित अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्राप्तांक एवं प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्यथा मूल्यांकन नही किया जावेगा।** यदि उस ग्राम में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका अनुपलब्ध हो, तो नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान की जावेगी।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिकाओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक प्रदाय किया जावेगा।
8. गरीबी रेखा की प्रभावशील सूची अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य होने पर 06 अंक प्रदाय किया जावेगा, इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा संबंधित परिवार के सदस्यता के संबंध में राशन कार्ड की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8वी तक अध्ययन करने पर 3 अंक प्रदाय किया जाएगा। तद् संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे।
10. विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को 15 अंक अतिरिक्त दिया जावेगा। इस हेतु आवेदिका को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:-
    (क) परित्यकता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा:
    1) नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावे।

    अथवा

    2) न्यायलय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश की प्रति।
    (नोट: परित्यकता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की ही अवधि को मान्य किया जावेगा।)

(घ) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त किया जा रहा है तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

11. पूर्व से कार्यरत न्यूनतम एक वर्ष की अनुभव धारण करने वाली कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका को 06 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा। तत् संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निर्धारित योग्यता में 60 प्रतिशत अंक आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी।
13. आवेदिका आवेदन करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों का स्वयं भली-भांति जांच कर लेवें। बाद में अथवा दावा आपत्ति के समय अंक प्रदान करने हेतु प्रस्तुत नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा। दावा आपत्ति में आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही आपत्ति स्वीकार किये जायेंगे।
14. त्रुटि पूर्ण आवेदन/अस्पष्ट आवेदन होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
15. निर्धारित समय तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़ में कार्यालयीन समय/दिवस पर आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ0ग0)

पृ0क्र0/105 अ/स्था./बा.वि.परि./2024-25
सारंगढ़, दिनांक 02.07.2024

प्रतिलिपि:-

1. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ0ग0 की ओर सूचनार्थ कर सादर संप्रेषित कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार वृत्त के रूप में निशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सारंगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ संम्प्रेषित।
4. पार्षद, वार्ड क्रमांक-9 की ओर सूचनार्थ।
5. संबंधित पर्यवेक्षक, सेक्टर सारंगढ़ शहरी को सूचनार्थ।
6. संबंधित वार्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओ की ओर सूचनार्थ। आप अपने आंगनबाड़ी केन्द्र में विज्ञापन चस्पा कर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ0ग0)